न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 2/2016 (बांसवाड़ा आर्डर)

गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा जरिये प्राचार्य दर्शना अछपाल पत्नी नरेश तलवार, निवासी कॉलेज रोड़, बासवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. खेल स्टेडियम बांसवाड़ा जरिये जिला कलक्टर (जिला प्रशासन) बासवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. खेल अधिकारी, क्रीडा परिषद, बासवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला
कलक्टर बांसवाड़ा दिनांक 16.03.2016
क्रमांक एफ 2(43)राजस्व/1986/904–08

———/———

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

———::———

निर्णय **दिनांक 19–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त शीर्षक वर्णित आदेश दिनांक 16–03–2016 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 31–04–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से राज्य सरकार के पूर्व आदेश दिनांक 10–02–1988 से स्टेडियम निर्माण हेतु आवंटित आराजियात में से नाला व नदी की भूमि को छोड़ते हुए आराजी नंबर 1371 रकबा 23 बीघा भूमि बांसवाड़ा स्टेडियम के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

→ आश्चर्य जनक रूप से राज्य सरकार द्वारा राजकीय कॉलेज को आवंटित भूमि के सन्दर्भ में राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध न्यायालय में स्वयं यह प्रकरण दर्ज करवाया है, जबकि यह अन्तर विभागीय राज्य सरकार के स्तर से निष्पादन योग्य प्रकरण था तथा इस प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार की अनुमति लिये बिना ही वादकरण प्रस्तुत किया है, जो विचारणीय है तथा इसके लिए निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग को निर्णय की प्रतिलिपि भिजवायी जावे ताकि किन परिस्थितियों में राज्य सरकार की सक्षम अनुमति के बिना महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध वादकरण किया गया है, इस बाबत् वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके।

प्रकरण में अपील मीमों के अवलोकन से ही प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि वर्ष 1988 में सरकार के आदेश दिनांक 01–03–1988 से कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा भूमि बांसवाड़ा स्टेडियम के पक्ष में आवंटित की गयी थी। होना यह चाहिए था कि तत्समय लीज इत्यादि निष्पादित होकर यह भूमि बांसवाड़ा स्टेडियम के नाम दर्ज हो जानी चाहिए थी, परन्तु अज्ञात कारणों से यह भूमि बांसवाड़ा स्टेडियम के नाम दर्ज नहीं हो सकी तथा इसी कारण आलोच्य आदेश से जिला कलक्टर ने उक्त भूमि में से राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्टेडियम के लिए आवंटित भूमि में से शेष भूमियों को छोड़ते हुए सिर्फ एक आराजी नंबर 1371 रकबा 23 बीघा भूमि खेल स्टेडियम के नाम करने का तहसीलदार को आदेश दिया है। उक्त आदेश

राज्य सरकार के आदेश के अनुक्रम में जारी किया गया है, जिसे अपीलान्ट विधि विरूद्ध होना बताता है एवं उसका कारण यह बताया है कि उक्त स्थल का उपयोग खेल मैदान हेतु कॉलेज के लिए किया जाता रहा है तथा यह सर्वे नंबर राजस्व अभिलेखों में अपीलान्ट के नाम दर्ज है। उपरोक्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय में तब्दील हो सकता है, इसलिए उन्हें इस भूमि की आवश्यकता है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में वर्ष 1988 में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं की गयी है तो अब जिला कलक्टर के उक्त आदेश में भी किसी भूमि को खेल स्टेडियम के नाम दर्ज किये जाने के आदेश, जो राज्य सरकार के आदेश के अनुक्रम में जारी आदेश है, जिसके विरूद्ध राजकीय महाविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है, तर्क संगत व औचित्यपूर्ण पालना के संदर्भ में राज्य सरकार के स्तर पर उक्त प्रकरण राज्य सरकार में संशोधन करने के प्रशासनिक कार्यवाही के स्थान पर महाविद्यालय प्रशासन समिति की बैठक में उक्त प्रकरण रखकर बिना राज्य सरकार से व संबंधित विभाग से अनुमति लिये राज्य सरकार के विरूद्ध ही वादकरण पेश किया है, जो अत्यन्त खेद जनक है तथा किसी भी राजकीय विभाग को कोई विधिक कार्यवाही करने से पहले अपने प्रशासनिक विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है। आश्चर्य जनक रूप से राजकीय भूमि का विभागीय आवंटन यदि है भी तो भी किसी राजकीय विभाग के व्यथित होने का कोई आधार ही नहीं बनता है। राज्य सरकार एक एकल इकाई है तथा शिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग उसके ही दो अंग हैं, तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध की गयी अपील से ऐसा प्रतीत होता है, जैसेकि दाये हाथ ने बाये हाथ से लड़ाई प्रारम्भ कर दी हो।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के आदेश के अनुक्रम में ही उक्त आदेश पारित किया गया है तथा खेल स्टेडियम निर्माण के लिए वर्ष 1988 में राज्य सरकार द्वारा आवंटित कर दी गयी है तो अब उक्त आवंटन आदेश के 28 वर्षो बाद चुनौती दिये जाने के लिए वह भी बिना सक्षम आदेश के, जो निराशा जनक है तथा इसके लिए संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए। अपील बिना किसी सक्षम आदेश के की गयी है अपील होने से तथा अनावश्यक वादकरण होने से खारिज योग्य है तथा

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील गुणावगुण आधार पर भी पोषणीय नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के सक्षम आदेशों से खेल स्टेडियम जो कि समग्र युवाओं के लिए उपयोगी होने से राज्य सरकार द्वारा ऐसी योजनाऐं प्रवृत्त की जाती है, जिसके लिए क्रियान्वयन राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन एवं अक्षम होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–03–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर